संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ भोपाल, दिनांक /10/2015

–:: आदेश ::–

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना के आदेश क्रमांक स्था./2015/12541 दिनांक 08.09.2015 के द्वारा डॉ योगेश द्विवेदी, चि0अ0, प्रा0स्वा0के0 भदौरा जिला गुना को जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के पद का प्रभार सौंपा गया है।

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त आदेश दिनांक 08.09.2015 की पुष्टि की जाती है, डॉ योगेश द्विवेदी, चि0अ0 प्रा0स्वा0के0 भदौरा निरंतर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के पद का कार्य निरंतर संपादित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/1567 भोपाल, दिनांक 15/10/2015

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
04. मिशन संचालक(एन0एच0एम0),कृषण भवन, जेल रोड, भोपाल।
05. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग, म0प्र0।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म0प्र0।
07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक.जिला चिकित्सालय जिला गुना म0प्र0।
08. जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना म0प्र0।
09. उपरोक्त संबंधित अधिकारी डॉ योगेश द्विवेदी, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म0प्र0।
10. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश नस्ती।

14/10/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पुष्टि पत्रक
समय–सीमा 03 दिवस

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.2/इन्दौर/2015/ 624 भोपाल,दिनांक 23.02.15

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–इन्दौर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– श्री अशोक साहू, एम. पी. डब्ल्यू सिविल डिस्पेंसरी इन्दौर की पदस्थापना के संबंध में उप संचालक (प.क.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल द्वारा जारी निर्देश पत्र की पुष्टि करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक./स्थापना/2015/2097/दिनांक 21.01.2015।

00--00

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री अशोक साहू,एम.पी.डब्ल्यू सिविल डिस्पेंसरी की पदस्थापना ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त किये जाने के संबंध में उप संचालक, परिवार कल्याण शाखा द्वारा आपको जारी पत्र कमांक.1687/दिनांक 18.12.2014 के संदर्भ में उक्त पत्र की पुष्टि किये जाने हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र संचालनालय को जारी किया जो प्राप्त हुआ।

प्राप्त पत्र के संदर्भ में प्रकरण की अद्यतन स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार हैः–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के अधीन लेखापाल के पद पर पदस्थ श्री व्यास कुमार नायक का स्थानांतर/समायोजन, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर द्वारा किये जाने पर श्री नायक का वेतन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा नहीं दिये जाने **तथा** श्री नायक द्वारा न्यायालय में अपील किये जाने के संबंध में शासन द्वारा उनके पत्र दिनांक 06.09.2014 द्वारा तत्कालीन सी.एम.एच.ओ.डॉ.डागरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये प्रतिवाद उत्तर चाहा।

2. शासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक.06.09.2014 के संदर्भ में जारी नोटिस का प्रतिवाद उत्तर डॉ.डागरिया, तत्का. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा शासन की ओर प्रस्तुत करते हुये **प्रतिलिपि स्वास्थ्य आयुक्त/अपर संचालक प्रशासन की ओर संपूर्ण दस्तावेज मय प्रमाण के दिनांक 19.09.2014 द्वारा प्रस्तुत कर**, शासन द्वारा जारी नोटिस समाप्त कर श्री नायक एवं श्री साहू का समायोजन/स्थानांतर निरस्त करें संबंधी अनुरोध किया।

डॉ.डागरिया,तत्का0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुति उपरान्त, कर्मचारियों का समायोजन/स्थानांतर **जो** संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर द्वारा किया गया के संबंध में संचालनालय की अविज्ञप्त शाखा से स्थानांतर निति का पालन जे.डी.इन्दौर द्वारा किया अथवा नहीं संबंधी जानकारी नस्ति पर चाही गई जो प्राप्त हुई।

अविज्ञप्त शाखा से प्राप्त टीप अनुसार श्री नायक एवं श्री साहू का समायोजन/स्थानांतर संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर द्वारा नियम विरूद्ध किये जाने पर उक्त स्थिति से स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को अवगत कराये जाने पर श्री साहू के समायोजन/स्थानांतर आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये श्री साहू की पदस्थापना तत्काल प्रभाव से सिविल डिसपेंसरी इन्दौर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन फील्ड (ग्रामीण क्षेत्र) में किये जाने संबंधी निर्देश स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के माध्यम से नस्ति पर टीप दिनांक 06.12.2014 द्वारा प्राप्त हुये।

..........2

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश से प्राप्त निर्देशों के पालन में चूँकि श्री साहू जिनका मूल पद एम.पी. डब्ल्यू होने के कारण उनका स्थानांतर करने संबंधी अधिकार, संचालनालय की परिवार कल्याण शाखा को होने के परिणामस्वरूप अविज्ञप्त शाखा द्वारा पत्र दिनांक 16.12.2014 उप संचालक, परिवार कल्याण शाखा को जारी करते हुये श्री साहू की पदस्थापना तत्काल प्रभाव से सिविल डिस्पेंसरी इन्दौर से सी.एम.एच.ओ. इन्दौर के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये। जारी पत्र की प्रतिलिपि अविज्ञप्त शाखा से शाखा को भी प्राप्त हुई। (प्रतिलिपि संलग्न)

संचालनालय की परिवार कल्याण शाखा को अविज्ञप्त शाखा द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में उप संचालक, परिवार कल्याण शाखा द्वारा पत्र कमांक.1687/दिनांक 18.12.14 तत्का. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला--इन्दौर को जारी करते हुये लेख किया कि श्री साहू को सिविल डिस्पेंसरी इन्दौर से ग्रमीण क्षेत्र में रिक्त पद पर तत्काल स्थानांतरित कर सूचित करें के संदर्भ में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर ने उनके आदेश कमांक.28544/दिनांक 27.12.2014 द्वारा श्री अशोक साहू,एम.पी.डब्ल्यू का स्थानांतर,सिविल डिसपेंसरी इन्दौर से ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था सामु.स्वा.केन्द्र मानपुर के अधीन प्राथ0स्वा0केन्द्र सिमरोल, कलेक्टर जिला इन्दौर का अनुमोदन प्राप्त करते हुये कार्य मुक्त किया गया जिसकी प्रतिलिपि शाखा को दिनांक 30.12.2014 द्वारा प्राप्त हुई। (आदेश की प्रति संलग्न)।

यह कि उक्त प्रकरण में आपके द्वारा पत्र दिनांक 21.01.2015 के संबंध में परिवार कल्याण शाखा द्वारा जारी पत्र 1687/18.12.2014 के संदर्भ में उक्त जारी पत्र की पुष्टि चाही गई के संबंध में यह पूर्णतयः प्रमाणित है कि उक्त पत्र संचालनालय की परिवार कल्याण शाखा से ही जारी हुआ जिसकी प्रति परिवार कल्याण शाखा से शाखा को भी प्राप्त हुई तत्पश्चात ही शाखा द्वारा डॉ.डागरिया तत्का0सी.एम.एच.ओ को शासन द्वारा जारी किये गये कारण बताओं नोटिस के संदर्भ में डॉ.डागरिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर पर संचालनालय द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से शासन को पत्र कमांक.8012 दिनांक 30.12.2014 द्वारा अवगत कराया गया।

श्री साहू की पदस्थापना ग्रमीण क्षेत्र में स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त किये जाने पर भी आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र संचालनालय को जारी करते हुये पत्र की पुष्टि चाही जिससे यह प्रतीत होता है कि वरिष्ठ कार्यालय से (स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश) वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुये श्री साहू को उनकी नवीन पदस्थापना स्थल हेतु संभवतः आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया।

यह कि श्री साहू को दिनांक 27.12.2014 द्वारा तत्का. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर द्वारा जारी किये गये आदेश के पालन में आप यह अवगत कराना सुनिश्चित करें कि श्री साहू वर्तमान में कहाँ पदस्थ है यदि उनको संबंधित नवीन पदस्थापना स्थल सामु.स्वा.केन्द्र मानपुर के अधीन प्राथ0स्वा0केन्द्र सिमरोल, (ग्रामीण क्षेत्र) में कार्य किये जाने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया तो उक्त कृत्य के लिये कोन अधिकारी /कर्मचारी जिम्मेदार है अवगत कराने के साथ ही श्री साहू एम.पी.डब्ल्यू के नवीन पदस्थपना स्थल हेतु

जारी आदेश की प्रविष्टी उनकी सेवापुस्तिका में दर्ज कराते हुये दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति साथ ही उक्त पेरा में अंकित समस्त बिन्दु की अद्यतन स्थिति से संचालनालय को समय–सीमा 03 दिवस में अनिवार्य रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रकरण में हुये अत्यधिक विलंब एवं स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त जारी पत्र की आपके द्वारा पुष्टि कराये जाने हेतु क्यों न वरिष्ठ कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये आदेशों की अवहेलना आपके द्वारा किये जाने हेतु प्रकरण में हुये अत्यधिक विलंब के लिये आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव शासन की ओर भेजा जावें जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

20/11/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.2/इन्दौर/2015/ भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. अवर सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
02. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर श्री अशोक साहू,एम.पी.डब्ल्यू. की पद स्थापना तत्काल ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने संबंधी निर्देश टीप दिनांक 06.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर उनके द्वारा पूर्व में श्री अशोक साहू, एम.पी.डब्ल्यू. के संबंध में प्रेषित टीप दिनांक 12.08.2013 समायोजन/स्थानांतर निरस्त किये जाने **तथा** श्री साहू की पदस्थापना के संबंध में पुनः प्रेषित टीप दिनांक 26.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित।
04. संचालक, परिवार कल्याण शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर परिवार कल्याण शाखा द्वारा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर को जारी किये गये पत्र क्रमांक.1687/दिनांक 18.12.14 के संदर्भ में प्रेषित।
05. उप संचालक,परिवार कल्याण शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर उनके पत्र क्रमांक.1687/दिनांक 18.12.14 द्वारा श्री साहू एम.पी.डब्ल्यू. की पदस्थापना ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने के संदर्भ में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर को भेजे गये पत्र के संदर्भ में प्रेषित।
06. उप संचालक अविज्ञप्त शाखा,स्थानीय कार्यालय की ओर उनके पत्र दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित।
07. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर उनके द्वारा श्री अशोक साहू,एम.पी.डब्ल्यू. के दिनांक 01 अगस्त 2013 द्वारा किये गये स्थानांतर/समायोजन आदेश के संदर्भ में प्रेषित।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला इन्दौर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
09. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरोल, मानपुर इन्दौर, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख किया जाता है कि जारी पत्र विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करावें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

59

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल-3/2014/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

उप संचालक (परिवार कल्याण)
स्थानीय कार्यालय ।

विषय :-श्री अशोक कुमार साहू, एम.पी.डब्ल्यू., सिविल डिस्पेन्सरी इन्दौर की पदस्थापना फिल्ड में करने बाबत् ।

सन्दर्भ :-आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा आदेशित नोटशीट टीप दिनांक 06.12.2014 ।

==00==

विषयांकित प्रकरण में आयुक्त स्वास्थ्य महोदय की नोटशीट टीप दिनांक 06.12.2014 की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है । आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार श्री अशोक कुमार साहू, एम.पी.डब्ल्यू., की पदस्थापना तत्काल प्रभाव से सिविल डिस्पेन्सरी इन्दौर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के अधीन फिल्ड (ग्रामिण क्षेत्र) में पदस्थ कर तत्काल अवगत करावें ताकि शासन द्वारा सी.एम.एच.ओ. इन्दौर को दिये गये कारण बताओं नोटिस में संचालनालय स्तर से अभिमत दिया जा सके ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित"

संलग्न- नोटशीट पृष्ठ 01 से 07 तक
छायाप्रति।

(डॉ.एल.बी.अस्थाना)
उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / अवि. / सेल-3 / 2014 / 880-X भोपाल दिनांक 16.12.2014

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर उनके पत्र क्रमांक 3677 / 5315 / 2014 / 17-1 / 2014 दिनांक 06.09.2014 के सन्दर्भ में प्रेषित ।
2. उप संचालक (स्थापना) स्थानीय कार्यालय की ओर विषयांकित प्रकरण के सन्दर्भ में प्रेषित ।

16.12.2014

उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

JSN.TP

(60)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./सेल–1/2014 /1687 भोपाल,दिनांक 18/12/2014

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला इंदौर म.प्र.

विषयः– श्री अशोक कुमार साहू एमपीडब्ल्यू, सिविल डिस्पेंसरी इंदौर को स्थानांतरित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री अशोक कुमार साहू एमपीडब्ल्यू, सिविल डिस्पेंसरी इंदौर में कार्यरत हैं। जैसा कि आपको विदित है कि एमपीडब्ल्यू की पदस्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने का प्रावधान है । अतः आप आज ही श्री साहू को सिविल डिस्पेंसरी से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पद पर स्थानांतरित कर सूचित करें। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

उप संचालक प.क.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./सेल–1/2014 /1688 भोपाल,दिनांक 18/12/2014

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
2. उप संचालक अविज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर उनके पत्र क्रमांक 879–X दिनांक 16.12.14 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक (शिकायत) स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

SK Dumo
18/12/2014

उप संचालक प.क.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

O.S (C)
19-12-14

C-2
19/12

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–इन्दौर(म.प्र.)

क्रमांक/स्थापना/2014/ इन्दौर, दिनाँक ....

–:: आदेश ::–

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/प.क./सेल–ए/2010/38/भोपाल, दिनाँक 13.01.2011 के पालन में श्री अशोक साहू, एम.पी.डब्ल्यू. का स्थानांतरण कार्यालय के अधीनस्थ होने के फलस्वरूप इनकी पदस्थापना कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्थापना/2011/8361/दिनाँक 11.05.2011 द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र अलवासा, सावेर में एम.पी.डब्ल्यू. के रिक्त पद पर की गई थी, किन्तु संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक/स्थापना/2013/6907/इन्दौर, दिनाँक 01.08.2013 द्वारा इनका समायोजन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर के अधीनस्थ सिविल डिस्पेंसरी रेसीडेंसी में किया गया, जिसे जिलाधीश इन्दौर द्वारा निरस्त मान्य किया गया।

स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अनुमोदन के आधार पर उप संचालक, परिवार कल्याण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 3/प.क./सेल–1/2014/1687/ भोपाल, दिनाँक 18.12.2014 द्वारा दिए निर्देशों के परिपालन में श्री अशोक साहू, एम.पी.डब्ल्यू., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलवासा, सावेर (वर्तमान में सिविल सर्जन के अधीनस्थ सिविल डिस्पेंसरी रेसीडेंसी, इन्दौर) का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमरोल के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र सेण्डल में एम.पी.डब्ल्यू. के रिक्त पद पर पदस्थ करते हुए कार्यमुक्त किया जाता है।

जिलाधीश द्वारा अनुमोदित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–इन्दौर(म.प्र.)

क्रमांक/स्थापना/2014/28544-60 इन्दौर, दिनाँक 27-12-14

प्रतिलिपि :– की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके द्वारा श्री अशोक साहू, एम.पी.डब्ल्यू. के प्रकरण में दिए गए निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक(प.क.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. अपर संचालक(प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. उप संचालक(अविज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 879–एक्स., दिनाँक 16.12.2014 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप संचालक(शिकायत), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. उप संचालक(प.क.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक 3/प.क./सेल–1/2014/1687/भोपाल, दिनाँक 18.12.2014 के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

O/S (C) 30.12.14 30/12

निरंतर......2

8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर आपके द्वारा जारी संबंधित शासकीय सेवक के समायोजन आदेश क्रमांक/स्थापना/2013/6907/इन्दौर, दिनाँक 01.08.2013 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
9. कलेक्टर जिला–इन्दौर की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा प्रेषित टीप दिनाँक 26.12.2014 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला–इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
12. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर की ओर सूचनार्थ।
13. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित शासकीय सेवक श्री साहू को तत्काल आज ही नवीन पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
14. वेतन केन्द्र मानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमरोल, मानपुर।
16. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी रेसीडेंसी, इन्दौर।
17. श्री अशोक साहू, एम.पी.डब्ल्यू., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलवासा, सांवेर(वर्तमान में सिविल सर्जन के अधीनस्थ सिविल डिस्पेंसरी रेसीडेंसी, इन्दौर) द्वारा–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर की ओर पालनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–इन्दौर(म.प्र.)